संख्या–747 /आठ–1–2023–34 बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2023**

विषयः– वर्ष–2023–24 में 35 करोड़ पौधारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं0–462/81–5–2023 दिनांक 03.08.2023 की (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2023 को रोपित किये गये एवं दिनांक 15.08.2023 को रोपित किये जाने वाले पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभाग, जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारी विगत दिनांक 22.07.2023 को किये गये एवं दिनांक 15.08.2023 को किये जाने वाले वृक्षारोपण के नये कीर्तिमान को अक्षुण्ण रखने हेतु हर सम्भव प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
10.8.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, परिवहन निगम लि0, नई दिल्ली।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव

E: GO 2022

संख्याः– 757 /आठ–1–2023–34 बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2023**

विषयः– वर्ष–2023–24 में 35 करोड़ पौधारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं0–462/81–5–2023 दिनांक 03.08.2023 की (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2023 को रोपित किये गये एवं दिनांक 15.08.2023 को रोपित किये जाने वाले पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु कतिपय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभाग, जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारी विगत दिनांक 22.07.2023 को किये गये एवं दिनांक 15.08.2023 को किये जाने वाले वृक्षारोपण के नये कीर्तिमान को अक्षुण्ण रखने हेतु हर सम्भव प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, परिवहन निगम लि0, नई दिल्ली।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव

E-GO-2022

7471/आर-L 2023 File No.81/10/2023-05-,

I/369579/2023

वृक्षारोपण

संख्या–462 / 81–5–2023.

दि. 15-08-23

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

8017 ACSH

सेवा में,

सचिव

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, शासन।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
   गृह / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन / ग्राम्य विकास / पंचायती राज / राजस्व / आवास विकास / औद्योगिक विकास / नगर विकास / लोक निर्माण / जलशक्ति / रेशम / कृषि / पशुपालन / सहकारिता / उद्योग / ऊर्जा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / रेल / रक्षा / श्रम / स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा / परिवहन / उद्यान विभाग।

3/8/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
   व्यावसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / आयुष / अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ / अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत / आबकारी / आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स / कृषि शिक्षा अनुसंधान / कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार / कार्मिक / खादी एवं ग्रामोद्योग / खेलकूद / खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन / खाद्य एवं रसद / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास / दुग्ध विकास / धर्मार्थ / न्याय / नागरिक उड्डयन / नियोजन / प्रशासनिक सुधार / पर्यटन / पुनर्गठन समन्वय / पिछड़ा वर्ग कल्याण / परती भूमि विकास / भाषा / भूतत्व एवं खनिकर्म / महिला एवं बाल विकास / मत्स्य / युवा कल्याण / राज्य सम्पत्ति / राष्ट्रीय एकीकरण / लोक सेवा प्रबन्धन / लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल / वित्त / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / दिव्यांग जन सशक्तीकरण / बाह्य सहायतित परियोजना / सतर्कता / संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन / समाज कल्याण / सूचना / संस्कृति / सामान्य प्रशासन / सचिवालय प्रशासन / समन्वय / समग्र ग्राम विकास / हथकरघा वस्त्र उद्योग / होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और राजनैतिक पेंशन / स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद विभाग।

7693/PS/SH/23

निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–5</u>   <u>लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त ~~जुलाई~~, 2023</u>

विषयः– वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–6 / 2023 / 242–81–5–2023, दिनांक 02.06.2023 तथा शासनादेश संख्या–366 / 81–5–2023, दिनांक 13.07.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित कुल 35.24 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य (14 करोड़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा 21.24 करोड़ अन्य 81 विभागों को आवंटित) के सापेक्ष वृक्षारोपण कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण दिनांक 22.07.2023 को 30.21 करोड़ पौधों का रोपण आप सबके तथा

सामान्यजन, जन प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी आर्गनाइजेशन आदि के सक्रिय सहयोग से सम्भव हो सका है। इसके सफल सम्पादन हेतु सभी बधाई के पात्र है। आशा है इसी प्रकार सबके सहयोग से अवशेष रोपण लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई, 2023 को रोपित किये गये एवं दिनांक 15 अगस्त, 2023 को रोपित किये जाने वाले पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाये :

i) पौधारोपण के पश्चात् उसकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा, सिंचाई तथा समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये। पौधों की जीवितता हेतु निम्न कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाये:

- पौधों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- पौधों की नियमित सिंचाई हेतु प्रथम/वृक्षारोपण वर्ष तथा अगले दो वर्षों तक माह सितम्बर से मार्च तक न्यूनतम सात सिंचाई (प्रति माह 1 सिंचाई) तथा अप्रैल से जून तक न्यूनतम छः बार सिंचाई (प्रति माह 02 सिंचाई) करायी जाये।
- पौधों की पर्याप्त निराई–गुड़ाई : प्रथम/वृक्षारोपण वर्ष में माह अगस्त में प्रथम निराई, माह सितम्बर में द्वितीय निराई (साथ में गुड़ाई) तथा माह जनवरी/फरवरी में गुड़ाई। अगले दो वर्षों तक प्रत्येक वर्ष दो बार निराई–गुड़ाई करायी जाये।
- ऊसर क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मल्चिंग कराया जाये।
- मरे/सूखे पौधों को उचित ऊँचाई के स्वस्थ एवं सुदृढ़ पौधों से बदल दिया जाये।**(उक्त कार्यों में वांछित तकनीकी सहयोग हेतु वन विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।)**

ii) पौधों की सुरक्षा, सिंचाई व अनुरक्षण कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु समस्त विभागों द्वारा वृक्षारोपण स्थलवार नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

iii) प्रत्येक विभाग के वृक्षारोपण स्थलवार नामित नोडल अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण स्थलवार वृक्षारोपण गणना पंजिका संधारित की जाये, जिसमें रोपित पौधों के प्रजातिवार विवरण के साथ–साथ प्रत्येक वर्ष 30 जून एवं 31 दिसम्बर को रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की गणना का विवरण अंकित किया जाये।

(वृक्षारोपण गणना पंजिका संधारण किये जाने हेतु वांछित सहयोग के लिये वन विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।)

iv) दिनांक 27.07.2023 तक मात्र 20 प्रतिशत रोपित पौधों का "हरीतिमा अमृत वन मोबाईल ऐप" का प्रयोग कर जिओटैगिंग किया गया है। इस कार्य में तीव्रता लाकर अवशेष सभी जिओटैगिंग कार्य पूर्ण किया जाये।

v) अन्य विभागों के वृक्षारोपण का स्थलीय सत्यापन एवं बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वृक्षारोपण गणना पंजिका का निरीक्षण/परीक्षण जिलाधिकारी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जॉच समितियॉ गठित कर अथवा सेक्टर एवं जोनल अधिकारी नामित कर कराया जाये।

vi) यथा सम्भव बड़े क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण को अलग–अलग संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों द्वारा गोद लेने के लिये प्रेरित किया जाये।

3. अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त अन्य समस्त सम्बन्धित विभाग, जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारी विगत दिनांक 22.07.2023 को किये गये एवं दिनांक 15.08.2023 को किये जाने वाले वृक्षारोपण के नए कीर्तिमान को अक्षुण्ण रखने हेतु हर सम्भव प्रयास करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 01-08-2023 12:57:27
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–462(1)/81–5–2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर, सी0आर0पी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
6. हेड क्वाटर सेन्ट्रल कमाण्ड, रक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)
7. डी0आर0एम0, एन0आर0 एवं एन0ई0आर0, रेलवे विभाग, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)
8. समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।